

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री हंसराज विश्वकर्मा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर																												
16(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि राजकीय मुद्रणालय ब्रांच प्रेस हजरतगंज, लखनऊ में फोरमैन, मुद्रण ओवरसियर तथा सहायक निदेशक के पद जो पचास प्रतिशत प्रोन्नति कोटे से भरे जाने थे वर्ष 2015 से प्रोन्नत नहीं किये गये ?	जी नहीं । मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फोरमैन, मुद्रण ओवरसियर तथा सहायक निदेशक के पदों पर 2015 के पश्चात की गयी प्रोन्नतियों का विवरण निम्नवत है:- <table><tr><th>क्र०</th><th>पदनाम</th><th>प्रोन्नतियों का विवरण</th></tr><tr><td>1</td><td>फोरमैन</td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>मुद्रण ओवरसियर</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>सहायक निदेशक</td><td>06</td></tr></table> वर्तमान में पदोन्नति कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:- <table><tr><th>क्र०</th><th>पदनाम</th><th>रिक्त पद</th><th>अभियुक्ति</th></tr><tr><td>1</td><td>फोरमैन</td><td>43</td><td>पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं ।</td></tr><tr><td>2</td><td>मुद्रण ओवरसियर</td><td>06</td><td>पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।</td></tr><tr><td>3</td><td>सहायक निदेशक</td><td>06</td><td>पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।</td></tr></table> इस प्रकार उक्त पदों पर उपलब्ध पात्र कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान कर दी गयी है ।	क्र०	पदनाम	प्रोन्नतियों का विवरण	1	फोरमैन	01	2	मुद्रण ओवरसियर	12	3	सहायक निदेशक	06	क्र०	पदनाम	रिक्त पद	अभियुक्ति	1	फोरमैन	43	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं ।	2	मुद्रण ओवरसियर	06	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।	3	सहायक निदेशक	06	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।
क्र०	पदनाम	प्रोन्नतियों का विवरण																											
1	फोरमैन	01																											
2	मुद्रण ओवरसियर	12																											
3	सहायक निदेशक	06																											
क्र०	पदनाम	रिक्त पद	अभियुक्ति																										
1	फोरमैन	43	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं ।																										
2	मुद्रण ओवरसियर	06	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।																										
3	सहायक निदेशक	06	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।																										
(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त कोटे से प्रोन्नति कब तक की जायेगी और इस विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारकी उत्तरदायी है?	प्रश्न ही नहीं उठता ।																												
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त बिंदु (क) पर दिये गये उत्तर के अनुसार ।																												

नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"
मंत्री,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।